FORM -I

(For Linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Rudraprayag

R. No. 82
Dated 27/08/2021

Why

India's Letter your

bmission of the under the test Act 2006

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No. 11-98-FC (pt.) 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be divert for non-forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 0.4769 hectares of Forest land proposed to be diverted in favor of 'Indian Railways for "Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand" which falls within jurisdiction of Village Nagrasu in Rudraprayag Teshil.

It is further certified that:

- a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.4769** Hectares of Forest area proposed of diversion, a copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s), Gram Sabha (s), Sub-divisional level committee (s) and the district level committee are enclosed annexure
- b. The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed.
- c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Group and pre-agricultural communities

Encl.: As above

Qistrict Collectors

Office of the District Collector Rudraprayag

District-Rudraprayag (Uttarakhand)

Proceedings of meeting of District Level Committee constituted under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA),2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objections/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for said purpose.

Place:

Dated:

CAN LA

Chairman District Level Committee

Its is further certified that – Minutes of meetings of "Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand" regarding FRA is as following:-

S.No		Remarks
(a)	For complete process for identification and settlement of right under FRA has been carried out for 0.4769 Hectares of Forest area proposed for diversion .A copy of record and consultations and meetings of forest rights Committee(s), Sub Division level Committee(s). The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section3(2) of FRA have been completed.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers. Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal groups and Pre-Agriculture Communities.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers

जिल समान कन्याण अधिकारी District Social Welling Officer

Rudraprayag

शीला रावत सदस्य जिला पंचायत वार्ड बंठ 17

जनपद-रूदप्रयाम (उत्तराखण्ड)

Divisional Forest Officer
Rudraprayer Forest Division

(Mahuj Goyal)

District Collector (Rudrapraya

22 3 54 5

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण

कार्यालय उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड में जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि0मी0 ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.4769 है0 सिविल वन भूमि जो कि नगरासू ग्राम में स्थित हैं। भारतीय रेल के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वार प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में उपजिलाधिकारी कार्यालय में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदिन सिविल वन भूमि के सम्बन्ध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित सिविल वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपखण्ड स्तरीय समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त सिविल वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

सर्वसम्मित से उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0मी0 त्रस्थिकेश-कर्णप्रयाग ने ब्रॉड गेज रेल परियोजना निर्माण हेतु 0.4769 हे0 सिविल वन भूमि ग्राम नगरासू में भारतीय रेल (परियोजना एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति 🕏 🗸

तहसील – रूदप्रयाग

जनपद - रुद्रप्रयाग

मात ८० ... उप जिलाधिकारी स्ट्रायाग

Dated - 26/08/2021

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवस्यक कार्यवाही हेतु ।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति उप जिलाधितसमील – रूदप्रयाग स्द्रप्रयागुजनपद – रूदप्रयाग

कार्यालय उपजिलाधिकारी रूदप्रयाग उपखण्ड सतरीय समिति रूदप्रयाग

आज दिनांक रिविधित का उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0मी० ऋषिकेश –कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

页0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
सं0			1
1	श्री जय किशन (IAS)	उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष फद्रप्रयाग	अप जिल्लामाना
2		उप प्रभागीय वनाधिकारी कद्ययाग	CONTRACT OF THE PROPERTY OF TH
3	स्जीव पाल	सहायक सभाज कल्याण अभिकारी	मार्गिक के जिल्ला भारतस्य
4	व्यन्ताया दवी	बी०डी०सी० क्षेत्र नगरास्	स्वतास्त्र ५००
			शेष विभावत ग्राहा

व्यस्व सीव मीडिंग वर्ष क्षेत्रप्रधिकारी

असप्रयाग रेज

2.5-44 gam

परियोजना का नाम :- 126 km Long Broad Clauge Rail
Link Connecting Rishikesh - Kamprayery
in the steele of Ullarakhand

वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अनार्गत अनापिता प्रमाण-पत्र

प्राम पंचायत का नाय - न्यार्गरन्तु तहसील के प्राथमार्ग जिला के प्राथमार्ग

उत्तराखण्ड में जनपद रहिंद्रप्रभाग के अन्तर्गत । उद्गर्भ कि कि कि निर्मण हेतु (A. कि है। आरक्षित वन भूमि, C. पा 69 है। सिविल सोयम भूमि (L. CO है। अर्थात कुल (पा दिन) वन भूमि का विमाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय


हारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया ग्या।

एक्त प्रकरण के विषय में प्राम पंचायत जी किया ग्या।
सम्पन्न प्राम समा/प्राम पंचायत की कैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन मृि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत धर्मां की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन मृिम में आदिवासी अध्या किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अध्या नहीं। " उपस्थित सभी प्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन मृिम में किसी भी आदिवासी अध्या गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन मृिम पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्षा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय तिया गया / प्रस्ताव पारित किया एया कि ग्राम निर्णिश को ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्मिश्य प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-ग्राम सविव



प्रपत्र-23,

दिनांक 27 20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थित

ग्राम पंचायत निगरास

कमांक	पाल अला में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हरसाक्षर
1 .	ना राजधार	1 del
2	315m 3150	de la companya de la
3 -	B.S. Rouel	Bos Olan
N	Rusas	
4.5	सन्दर्भा त	(mag)
100	्कलकीव । अंह	
1-A	t-vinod Cara	That Aic
1	E 17 20 20 1	Sandroley
1) State 4011	1 de la jun
1	and make the state of the state	
	The state of the s	And the second s
	the state of the s	Variable Control of the Control of t
-	the state of the s	
2500	and the second s	Street Street Landson
		And the second desired property and the second seco
		The state of the s
Windle Co.		The state of Fed and Fernish and the state of the state o

